न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2023
(GCMS 2023/284)(212702416087504)

ललित मेघवाल पुत्र श्री मन्छारामजी, पुरानी बस्ती, इन्दरी मेघवालों का वास,वार्ड नं. –7, सुमेरपुर जिला पाली

<u>बनाम</u>

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>28.03.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री ललित मेघवाल स्वंय अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उसने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री ललित मेघवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.08.2023 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. वर्ष 2015 से 2020 के मध्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमों के विपरीत गेहूं उठाया गया था, राजस्थान के समस्त गेहूं उठाने वाले कार्मिकों की प्रमाणित सूची की प्रतिलिपि दी जावे।
2. नियमों के विपरीत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाए कार्मिकों के खिलाफ सरकार द्वारा/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाए।

लोक सूचना अधिकारी [illegible] श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/सू.क.अ./2024/41 दिनांक 03.01.[illegible]4 [illegible]अपील का जवाब दिया है, जिसके साथ अपीलार्थी को [illegible] पत्रांक [illegible]/3554 दिनांक 21.11.2023 की प्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार जिला रसद अधि[illegible] श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निम्न सूचना चाही है:

1. वर्ष 2015 से 2020 के मध्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमों के विपरीत गेहूं उठाया गया था, राजस्थान के समस्त गेहूं उठाने वाले कार्मिकों की प्रमाणित सूची की प्रतिलिपि दी जावे।
2. नियमों के विपरीत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं उठाए कार्मिकों के खिलाफ सरकार द्वारा/विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाए।

इस सम्बन्ध में लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना कुल सौ पृष्ठ में तैयार की जानी है जिसके लिए 2 रूपये प्रति पेज की दर से 200/- रूपये के पोस्टल ऑर्डर जमा करवा कर इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील का जवाब प्रेषित किया है, जिसके अनुसार अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधनानुसार राशि राजकोष में जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर